

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 83/प्र0अ0(त0स0-2)/जो-2/2015-16 दिनांक 18/02/2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है किन्तु अर्थ यह न राखना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकट या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी क जोड़े असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वमित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री वैरेन्द्र कुमार खरबन्दा पुत्र स्व0 मनोहर लाल खरबन्दा द्वारा भवन संख्या-21/39 शिव चरन लाल रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के काम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण -> प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विद्युत उपविधि 2006 में उपविधि संख्या-2.1.3 एवं 3.1.3 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिय (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी नियमों अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना सुरक्षा एवं भूजलता का दायित्व स्वयं आवेदक का होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिशिष्ट में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के फर्म में कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आवेदक को करना आवश्यक होगा।
6. प्रस्तुत मानचित्र स्टिम्प्ट चार्जिंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर शॉप तथा तृतीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है। तदनुसार ही निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थल का उपयोग/उपयोग किया जाय।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तुत स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वमित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न शासक पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई सुल्य आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई मसलपूरा सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के चालक की नटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आस पास, पुराने भंग अथवा उतराके आकर के कारण बंद गई हो) को हानि पहुँचे तो गुरुसामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शोध कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सुतोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफिडयन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आधार होने से पूर्व देना होगा तथा उस कादमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।






M. Kharbanda

18/02/2016
(मुकुंद श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी



PROPOSED COMM. RESID. BUILDING PLAN OF PART
 OF H.NO. 21/39 (OLD ABADI) SHIVCHARAN LAKE ROAD
 ALLAHABAD
 OWNER: SRI. KESAV CHAKRAVARTY (R/R) BADA
 SO. LATE MANOHAR LAL KHANNA
 SCALE: 1:100

It is certified that the building plan has been prepared according
 to Master Plan 2021, Zoning Plan and Building Bye-laws, 2012.

- NOTE:-
- LINE CONC. IN FOUNDATION
 - FLOORING OVER R.C.SLAB
 - TOTAL AREA OF PLOT = 140.99 SQM
 - COVERED AREA ON SITE = 66.97 SQM (48.81%)
 - COVERED AREA ON F.F. = 66.97 SQM (48.81%)
 - COVERED AREA ON S.F. = 66.97 SQM (48.81%)
 - COVERED AREA ON T.F. = 66.97 SQM (48.81%)
 - AREA OF MURTY = 13.99 SQM
 - OPEN AREA ON G.F. = 84.82 SQM
 - ACHIVED FAR = 1.94
 - PROVIDE CAR PARKING = 30 NOS.



NO.	DESCRIPTION	AREA (SQM)
1	TOTAL AREA OF PLOT	140.99
2	COVERED AREA ON SITE	66.97
3	COVERED AREA ON F.F.	66.97
4	COVERED AREA ON S.F.	66.97
5	COVERED AREA ON T.F.	66.97
6	AREA OF MURTY	13.99
7	OPEN AREA ON G.F.	84.82



Handwritten notes and signatures in blue and green ink, including a circular official stamp of the architect or engineer.